

प्रारूप-सोलह
(नियम 19(2) देखिए)
धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के
आशय की घोषणा की सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि, देवास विकास प्राधिकरण (नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकरण का नाम) नगर विकास योजना क्रमांक TDS-03/2020 अर्थात् देवास नगर (क्षेत्र का विवरण जहाँ स्कीम प्रस्तावित है) बनाने का आशय रखता है। स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार है :

सरल क्रमांक	स्वामी का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक (इसके अंशों को सम्मिलित करते हुए, यदि कोई हो)	क्षेत्रफल हेक्टर में
01	मेसर्स ईगल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी डायरेक्टर, पुरुषोत्तम अग्रवाल पिता रामकुमार अग्रवाल	देवास नगर	जैतपुरा	104	2.898
02	मेसर्स ईगल कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी डायरेक्टर, पुरुषोत्तम अग्रवाल पिता राजकुमार अग्रवाल	देवास नगर	जैतपुरा	105 P	0.362
03	कन्हैयालाल रामलाल नारायण पिता बवल जैतपुरा,	देवास नगर	जैतपुरा	106/1	1.761
04	ज्ञानचंद पिता किशनचंद देवास,	देवास नगर	जैतपुरा	106/2	0.086
05	धनराज पिता किशनचंद लालवानी देवास,	देवास नगर	जैतपुरा	106/3	0.250
06	सुलोचना पति ज्ञानचंद देवास,	देवास नगर	जैतपुरा	106/4	0.226
07	हजारीलाल कैलाश पिता कन्हैयालाल देवास	देवास नगर	जैतपुरा	116 P	0.215
					5.798

कोई भी व्यक्ति इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, योजना में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
देवास विकास प्राधिकरण, देवास